



2026:AHC-LKO:8906-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 1151/ 2026

मेशर्स जे के मनोरंजन उद्योग, बलरामपुर, मालिक जिकरुल्लाह
खान के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: मोहम्मद तनवीर रजा
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., अशोक कुमार वर्मा, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद मुस्तकीम खान, विजय प्रताप सिंह

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र 'कासिस' ने विरोधी पक्ष सं. 2 की ओर से, अधिवक्ता श्री वैभव मिश्रा ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से और अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार मिश्रा ने विरोधी पक्ष सं. 4 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, उन्हें अभिलेख पर लिया गया है।
2. सुना गया।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा है कि उन्हें इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाए।
4. तदनुसार, याचिका को उपर्युक्त स्वतन्त्रता के साथ वापस ले लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिका के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति न्यायालय के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

5 फरवरी, 2026

शानू/-

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

Translated Version. Not for Legal Use.